कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/वैकल्पिक शिक्षा/मा.द./2018–19/199 दिनांक : 05/08/2020

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।

विषय :– समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रो/विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को ड्रॉप आउट फ्री "उजियारी पंचायत" घोषित किये जाने के दिशा निर्देश।

प्रसंग :– राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, का पत्रांकः रास्कूशिप/जय/वैशि/उजि.पंचा.F3 / B / 2020–21/13187 दिनांकः 22.07.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको शोत्सव संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए गए है। प्रवेशोत्सव के दौरान समस्त पंचायतों के बालक–बालिकाओं को न्हेत कर /सर्वे कर आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़े जाने की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। प्रवेशोत्सव पूर्ण होने के चात् अनामांकित / ड्रॉप आउट पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित किया जाना है। **ड्रॉप आउट फ्री पंचायत को जेयारी पंचायत** घोषित किये जाने के संदर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश/मानदण्ड मय आवश्यक प्रपत्रों के अग्रिम र्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे है। **कोविड–19 के कारण उजियारी पंचायत चयन प्रक्रिया की तिथियों से पृथक् से नयानुसार निर्देशित कर दिया जायेगा। विदित रहे कोविड–19 को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ,राज्य सरकार एवं ास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना अक्षरशः की जानी है।**

आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/संस्थाप्रधानों को यह निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि, नामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी/विद्यालयों से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर परिणाम आधारित ार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि उनकी पंचायत **ड्रॉप आउट फ्री पंचायत "उजियारी पंचायत"** घोषित हो सकें।
लग्नः– यथोपरि।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

ातिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद।
9. विकास अधिकारी, समस्त पंचायत समिति।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
11. उप निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा ।
12. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर/सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
14. वरिष्ठ सम्पादक 'शिविरा', प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
15. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
16. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान, समस्त राजकीय विद्यालय।
17. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र/विद्यालय में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने पर ड्रॉप आउट फ्री ''उजियारी पंचायत'' घोषित किये जाने हेतु मानदण्ड 2020–21

1. **प्रस्तावना**

1.1 हमारा संविधान 14 आयु वर्ग तक के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

1.2 5 से 18 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ–साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों का योगदान महत्वपूर्ण है।

1.3 वर्ष 2020–21 हेतु शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन वृद्धि एवं ठहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाये जाने का निश्चय किया गया है। ऐसी पूर्ण नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली अनामांकन एवं ड्रॉप आउट फ्री पंचायतों को ''उजियारी पंचायत'' के रूप में चिन्हित कर समानित किया जायेगा।

1.4 उजियारी पंचायत के आवेदन सत्यापन, घोषणा की तिथियों के सम्बन्ध में पृथक् से निर्देश प्रदान किये जायेंगे।

2. **''उजियारी पंचायत'' की घोषणा हेतु मानदण्ड**

2.1 3 से 5/6 वर्ष के समस्त बालक–बालिका पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु अपने निवास क्षेत्र की नजदीकी आगंनबाड़ी में नामांकित है।

2.2 5–6 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिका (आगंनबाड़ी में नामांकित /अनामांकित) का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन कक्षा 1 में करवा दिया गया है।

2.3 कक्षा 5/8/10 उत्तीर्ण अथवा इनकी परीक्षा में प्रविष्ट 80 प्रतिशत से अधिक बालक–बालिकाओं का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन क्रमशः कक्षा 6/9/11 में करवा दिया गया है एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में उत्तीण होने वाले बालक–बालिकाओं का नामांकन अगली कक्षा में करवा दिया गया है।

2.4 यदि कोई विद्यार्थी 4 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा है और यदि रहा है तो उसे पुनः आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।

2.5 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल (अनामांकित/ड्रॉपआउट) बच्चों को विशेष शिक्षण करवाया जाकर आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया गया है एवं वे कक्षा में प्रवेशित एवं अध्यनरत है।

2.6 पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) कार्यालय में 0 से 18 वर्ष के पंचायत क्षेत्र के समस्त बालक–बालिकाओं का हाउस होल्डवार सर्वे रिकोर्ड संधारण किया हुआ हो।

2.7 पंचायत को उजियारी पंचायत की घोषणा की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष की जायेगी।

3. आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया

3.1 **उजियारी पंचायत घोषणा के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए परिषद् कार्यालय से पृथक् से पत्र जारी किया जायेगा। तद्नुरूप प्राप्त आवेदनों का दो चरणों में क्रमशः ब्लॉक स्तरीय जांच एवं जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन किया जायेगा।**

3.2 उजियारी पंचायत हेतु घोषणा आवेदन पत्र पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भरा जावेगा। आवेदन पत्र सरपंच, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ), ग्राम विकास अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक (आईसीडीएस) द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3.3 उजियारी पंचायत घोषणा हेतु आवेदन प्रस्ताव ग्राम सभा में अनुमोदन कराया जायेगा।

3.4 आवेदन के साथ पंचायत के किसी भी ग्राम में 3 से 5/6 वर्ष का कोई भी बच्चा आंगनबाड़ी में नामांकन एवं 5/6 से 18 वर्ष का बच्चा विद्यालय में नामांकन से वंचित नही है। इस आशय का सरपंच, पीईईओ, ग्राम विकास अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर वाला प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया जावेगा। (प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न)। आवेदन पत्र **मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी** (सीबीईओ) को दो प्रतियों में प्रेषित किया जाकर एक प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावेगी।

3.5 **मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) द्वारा आवेदन करने वाली ग्राम पंचायतों की प्रविष्ट शालादर्पण पोर्टल पर की जावेगी।**

शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्ट की गयी आवेदित ग्राम पंचायतों का ही ब्लॉक स्तरीय भौतिक जांच एवं जिला स्तरीय सत्यापन किया जायेगा। जिन ग्राम पंचायतों की प्रविष्टि अंतिम तिथि तक शालादर्पण पोर्टल पर नहीं की जायेगी, उन ग्राम पंचायतों का आवेदन अमान्य होगा।

3.6 सीबीईओ कार्यालय को शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि की अंतिम तिथि तक समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाईन प्रविष्टि करना अनिवार्य है। प्राप्त आवेदन पत्रों की अंतिम तिथि तक प्रविष्टि नहीं करने की समस्त जिम्मेदारी सीबीईओ की होगी।

3.7 उपखण्ड अधिकारी द्वारा गठित ब्लॉक स्तरीय तीन सदस्यीय समिति द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्राप्त समस्त आवेदनों की भौतिक जांच की जायेगी। समितियों का गठन ब्लॉक के आवेदन पत्रों की संख्या अनुसार किया जायेगा। यह समिति निम्नलिखित सदस्यों में से किन्हीं तीन सदस्यों द्वारा गठित की जावेगी। प्रत्येक समिति में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामित सदस्य होना अनिवार्य है :–

1 सीबीईओ / एसीबीईओ

2 आवेदित पंचायत से भिन्न पंचायत का पीईईओ

3 आवेदित पंचायत से भिन्न पंचायत का व्याख्याता

4 उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामित सदस्य

3.8 ब्लॉक स्तरीय भौतिक जांच दल जांच की तिथि के सम्बन्ध में सम्बन्धित पीईईओ को पूर्व सूचना देगा।

3.9 पीईईओ द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच एवं महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी को जांच तिथि की सूचना दी जायेगी। सभी सम्बन्धित व्यक्ति जांच के समय उपस्थित रहेगे।

3.10 पंचायत से प्राप्त आवेदन पर भौतिक जांच दल पंचायत के कम से कम 25 प्रतिशत या न्यूनतम 4 विद्यालय एवं 4 आंगनबाड़ी जो भी अधिक हो में उपलब्ध सर्वे रिकॉर्ड का सत्यापन भौतिक स्थिति से करेगा।

3.11 आवेदनों के भौतिक जांच के दारौन सम्बन्धित पंचायत के पीईईओ कार्यालय में उपलब्ध हाउस होल्ड सर्वे रिकोर्ड में से रैण्डमली 5 प्रतिशत सर्वे प्रपत्र लिये जाकर सम्बन्धित घरों में बालक–बालिकाओं की वस्तु स्थिति (हैड काउंटिंग) का मिलान आंगनबाड़ी एवं विद्यालय (सरकारी एवं निजी) के रिकॉर्ड से किया जायेगा।

3.12 भौतिक जांच के दौरान सर्वे में हाउस होल्ड के साथ–साथ अन्य बसावट जैसे गाँव के आस–पास गाड़िया लुहार, ईट भट्टा बस स्टैण्ड, गाँव से दूर ढाणी, पूरबा, मजरा, कोविड–19 से प्रभावित श्रमिक इत्यादि को भी सम्मिलित जाकर भौतिक सत्यापन किया जावें।

3.13 ब्लॉक स्तरीय भौतिक जांच समिति अपनी रिपोर्ट में ग्राम पंचायत को उजियारी घोषित किये जाने अथवा नहीं किये जाने की अभिशंषा निर्धारित जांच प्रपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करेगी।

3.14 ब्लॉक स्तरीय जाँच दल मौके पर पहुँच कर प्रत्येक ग्राम पंचायत की निर्धारित जाँच प्रपत्र (ब्लॉक स्तरीय भौतिक जाँच एवं जिला स्तरीय सत्यापन प्रपत्र) में जांच करेगा। भौतिक जांच रिपोर्ट तीन प्रतियों में तैयार की जावेगी। जांच रिपोर्ट की एक प्रति संबधित पीईईओ कार्यालय को दी जावेगी। जांच रिपोर्ट की दूसरी प्रति मूल आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर (प्रमाणिक रिपोर्ट) एवं जांच रिपोर्ट की तीसरी प्रति आवेदन पत्र की फोटोप्रति के साथ संलग्न कर सीबीईओ कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।

3.15 सीबीईओ द्वारा समस्त आवेदित ग्राम पंचायतों की प्रमाणिक जांच रिपोर्ट (जांच रिपोर्ट मय मूल आवेदन पत्र) मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। समस्त आवेदित ग्राम पंचायतों की जांच रिपोर्ट का दूसरा सेट उपखण्ड अधिकारी को भिजवाया जावेगा।

3.16 उपखण्ड अधिकारी द्वारा समस्त जांच रिपोर्ट का सेट जिला कलक्टर को प्रेषित किया जायेगा।

3.17 जिला कलक्टर द्वारा ब्लॉकवार तीन सदस्यीय जिला स्तरीय सत्यापन समितियों का गठन किया जायेगा। समितियों का गठन ब्लॉक के आवेदन पत्रों की संख्या अनुसार किया जायेगा। यह समिति निम्नलिखित सदस्यों में से किन्ही तीन सदस्यों के द्वारा गठित की जावेगी। प्रत्येक समिति में जिला कलक्टर द्वारा नामित सदस्य होना अनिवार्य है –

1 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)

2 आवेदित ग्राम पंचायत के ब्लॉक से भिन्न ब्लॉक का पीईईओ

3 आवेदित ग्राम पंचायत से भिन्न पंचायत समिति का पीईईओ

4 जिला कलक्टर द्वारा नामित सदस्य

3.18 जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक आवेदित ग्राम पंचायत की ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट की मौके पर पूर्ण जांच की जायेगी तथा पंचायत के 25 प्रतिशत विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी अथवा न्यूनतम 2 विद्यालय एवं 2 आंगनबाड़ी (जो भी अधिक हो) में उपलब्ध रिकॉर्ड का भौतिक स्थिति से मिलान करते हुये ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट का सत्यापन किया जायेगा एवं ग्राम पंचायत को उजियारी घोषित किये जाने अथवा नहीं किये जाने की अभिशंषा निर्धारित जांच प्रपत्र में अंकित की जावेगी।

3.19 जिला स्तरीय सत्यापन समिति द्वारा की गई अभिशंषा अनुसार ग्राम पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित किया जाना प्रस्तावित किया जावेगा।

3.20 जिला कलक्टर द्वार गठित ब्लॉकवार जिला स्तरीय सत्यापन समितियाँ भौतिक जांच पश्चात अभिशंषा रिपोर्ट मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगी।

3.21 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट को जिला निष्पादक समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जावेगा।

3.22 जिला निष्पादक समिति की बैठक में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पर चर्चा एवं अनुमोदन पश्चात मानदण्डानुसार सम्बन्धित पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित करने हेतु अनुमोदन किया जावेगा।

4. उजियारी पंचायत की घोषणा

4.1 आवेदित, सत्यापित एवं जिला निष्पादक समिति में अनुमोदित पंचायत को **"उजियारी पंचायत"** घोषित किया जायेगा एवं घोषणा प्रमाण पत्र दिए जाने के सम्बन्ध में **कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए परिषद् कार्यालय से पृथक् से आदेश जारी किए जाऐंगे।**

4.2 परिषद् से जारी होने वाले आदेशानुसार चयनित उजियारी ग्राम पंचायत के पीईईओ एवं सरपंच सम्मिलित रूप से उजियारी पंचायत का प्रमाण–पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया जावेगा।

4.3 जिले में उजियारी पंचायत के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन कार्मिकों को जिला कलक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया जावेगा।

4.4 उजियारी पंचायत घोषणा पश्चात पंचायत के पंचायत भवन एवं पंचायत के सभी विद्यालयों पर **"अनामांकित/ड्राप आउट फ्री उजियारी पंचायत"** लिखवाया जावें।

4.5 राज्य सरकार की विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उजियारी पंचायत को प्राथमिकता दी जावेगी।

विशेष – उजियारी पंचायत घोषित करने हेतु की जाने वाली विभिन्न स्तरीय कार्यवाही/बैठकों इत्यादि के आयोजन में कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना अक्षरशः की जानी है।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा विभाग
बीकानेर

आवेदन पत्र सत्र 2020–21

उजियारी पंचायत

(अनामांकित/ड्रॉप आउट फ्री ग्राम पंचायत के लिए)

ग्राम पंचायत .... ब्लॉक .... जिला ....

0 से 18 वर्ष के समस्त बालकों–बालिकाओं का सर्वे किया जाकर 3 से 18 वर्ष के समस्त अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बालकों–बालिकाओं को आयु अनुसार आंगनबाड़ी/विद्यालय में प्रवेशित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत में 3–18 वर्ष के समस्त बालक–बालिका आयु अनुसार आंगनबाड़ी/ विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत है एवं कोई बालक/बालिका ड्रॉप आउट अथवा अनामांकित नही है।

ग्राम पंचायत .... को उजियारी ग्राम पंचायत घोषित करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

महिला पर्यवेक्षक	ग्राम विकास अधिकारी	पीईईओ	सरपंच
नाम	नाम..............................	नाम	नाम ....
		विद्यालय का नाम..	

ड्रॉ आउट फ्री "उजियारी पंचायत" की घोषणा सत्र 2020–21

(यह प्रपत्र पंचायत द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे)

मैं.......................................सरपंच ग्राम पंचायत...
मैं.. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत.... .... मैं ....ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत .... मैं.. महिला पर्यवेक्षक (ICDS) ग्राम पंचायत.. हम संयुक्त रूप से घोषणा करते है कि हमारी ग्राम पंचायत .... ब्लॉक .... जिला........................... में 0 से 18 वर्ष के समस्त बालक–बालिकाये अपनी आयु के अनुरूप आंगनबाड़ी/विद्यालय में नामांकित एवं अध्यनरत है और कोई भी बालक–बालिका ड्रॉप आउट अनामांकित नहीं है तथा पंचायत में 0 से 18 वर्ष तक के कुल बच्चों की संख्या निम्नानुसार है –

0 से 3 वर्ष	3 से 6 वर्ष	6 से 14 वर्ष	14 से 18 वर्ष	कुल बच्चों की संख्या

महिला पर्यवेक्षक	ग्राम विकास अधिकारी	पीईईओ	सरपंच
नाम	नाम...............................	नाम	नाम ....

विद्यालय का नाम..

ब्लॉक स्तरीय भौतिक जाँच एवं जिला स्तरीय सत्यापन प्रपत्र 2020–21

उजियारी पंचायत

दिनांक..................

(आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर इस प्रपत्र में ब्लॉक एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा जाँच/सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे)

ग्राम पंचायत.................. ब्लॉक................. जिला.....................

1. क्या भौतिक सत्यापन से पूर्व ग्राम पंचायत के पीईईओ को सूचित किया गया है। हाँ/नहीं
2. क्या पीईईओ द्वारा सरपंच को सूचित किया गया। हाँ/नहीं
3. भौतिक सत्यापन के समय उपस्थित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि (☑ या ☒ का निशान लगाएँ)
4. पीईईओ ☐ सरपंच ☐ वार्डपंच ☐ महिला पर्यवेक्षक आंगनबाडी ☐
5. क्या पीईईओ कार्यालय में 0 से 18 आयुवर्ग के बच्चों के हाउस होल्ड सर्वे का रिकोर्ड रजिस्टर संधारित है। हाँ/नहीं
6. यदि हाँ तो, प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 की पूर्ति करें।

मौतिक जाँच/सत्यापन प्रपत्र–1

ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा भौतिक जाँच हेतु (25 प्रतिशत विद्यालय एवं आंगनबाडी या 4 विद्यालय एवं 4 आंगनबाडी में से जो भी अधिक हो, की भौतिक जाँच करें)							जिला स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	ग्राम पंचायत में संचालित शैक्षिक संस्थाएँ	कुल शैक्षिक संस्थाएँ	शैक्षिक संस्थाओ की संख्या जिसमें भौतिक जाँच की गई	शैक्षिक संस्थाओ का नाम	हाउस होल्ड सर्वे रिकोर्ड अनुसार नामांकित (मेनस्ट्रीम) Oosc बच्चे	भौतिक जाँच अनुसार नामांकित (मेनस्ट्रीम) Oosc बच्चे	जिला स्तरीय सत्यापन हेतु भौतिक जाँच कर कॉलम संख्या 2 से 7 को प्रमाणित /अप्रमाणित करें
1	राजकीय विद्यालय						

144

ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा भौतिक जाँच हेतु (25 प्रतिशत विद्यालय एवं आंगनबाडी या 4 विद्यालय एवं 4 आंगनबाडी में से जो भी अधिक हो, की भौतिक जाँच करें)							जिला स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	ग्राम पंचायत में संचालित शैक्षिक संस्थाऐं	कुल शैक्षिक संस्थाऐं	शैक्षिक संस्थाओ की संख्या जिसमें भौतिक जाँच की गई	शैक्षिक संस्थाओ का नाम	हाउस होल्ड सर्वे रिकोर्ड अनुसार नामांकित (मेनस्ट्रीम) Oosc बच्चे	भौतिक जाँच अनुसार नामांकित (मेनस्ट्रीम) Oosc बच्चे	जिला स्तरीय सत्यापन हेतु भौतिक जाँच कर कॉलम संख्या 2 से 7 को प्रमाणित /अप्रमाणित करें
2	निजी विद्यालय						
3	आंगनबाडी						

मौतिक जाँच/सत्यापन प्रपत्र–2 (रेण्डमली 5 प्रतिशत सर्वे प्रपत्रों की जाँच कर भरें)

ब्लॉक स्तरीय भौतिक जाँच हेतु								जिला स्तरीय भौतिक जाँच हेतु
1	2	3	4	5	6			7
क्र. सं.	ग्राम/वार्ड नं.	सर्वे प्रपत्र अनुसार मुखिया का नाम	0 से 18 वर्ष के कुल बच्चे	3 से 18 वर्ष के कुल बच्चे	3 से 18 वर्ष के बच्चों की आंगनबाड़ी/विद्यालय में नामांकन की स्थिति			जिला स्तरीय सत्यापन हेतु भौतिक जाँच कर कॉलम संख्या 2 से 6 को प्रमाणित /अप्रमाणित करें
					विद्यालय में नामांकित	आंगनबाड़ी में नामांकित	अनामांकित	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत में गाँवों के आसपास गाड़िया लुहार, ईट भट्टा, बस स्टेण्ड, गाँव से दूर ढाणी, पुरवा, मजरा आदि को भी सम्मिलित कर भौतिक जाँच की गई। ग्राम पंचायत में 3 से 18 वर्ष के समस्त बालक–बालिका अपनी आयुअनुरुप आंगनबाड़ी/विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत है/नहीं है।

ब्लॉक स्तरीय समिति की जाँच रिपोर्ट..

1 हस्ताक्षर एवं नाम /पद **2 हस्ताक्षर एवं नाम /पद** **3 हस्ताक्षर एवं नाम /पद**

जिला स्तरीय समिति की सत्यापन रिपोर्ट...

1 हस्ताक्षर एवं नाम /पद **2 हस्ताक्षर एवं नाम /पद** **3 हस्ताक्षर एवं नाम /पद**

प्रमाण-पत्र

उजियारी पंचायत 2020-21

अनामांकित/ड्रॉप आउट फ्री ग्राम पंचायत

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ....में कोई भी बालक-बालिका जो 3 से 18 वर्ष की उम्र का है शिक्षा से वंचित नहीं है। और न ही कोई बालक-बालिका अनामांकित/ड्रॉप आउट है।

पंचायत से प्राप्त घोषणा पत्र एवं जाँच समितियों की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत.. ब्लॉक......................................जिला.. को शैक्षिक सत्र .... के लिये अनामांकित/ड्रॉप आउट फ्री पंचायत ''उजियारी पंचायत'' घोषित किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक..................................को जारी किया जाता है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला...

प्रमाण–पत्र

उजियारी पंचायत

उत्कृष्ट कार्मिक सम्मान 2020–21

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....

पद .... पदस्थापनस्थान ....

.... द्वारा शैक्षिक सत्र .... में अनामांकित/ ड्रॉप आउट फ्री पंचायत "उजियारी पंचायत योजना" अन्तर्गत जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य किया गया। इन्हें "**उत्कृष्ट कार्मिक सम्मान**" से सम्मानित किया जाता है।

यह प्रमाण–पत्र आज दिनांक .... को जारी किया गया जाता है।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला ....